



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012021-224195
CG-DL-E-05012021-224195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]
No. 03]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 2021/पौष 14, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 2021/PAUSHA 14, 1942

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2021

सं. एडी-06/1/2018-प्रशा.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/10/2020-सीएस.।(यू) दिनांक 14.12.2020 के क्रम में, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर वेतन मेट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रु.) में 30.06.2021 तक की अवधि के लिए अथवा इन पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	सीएसएल सं.	कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख
1	अलिमा तिकी	10887	14.12.2020 (पूर्वाह्न)
2	हेमंत खुल्वे	10947	14.12.2020 (पूर्वाह्न)
3	राजीव कुमार	10957	14.12.2020 (पूर्वाह्न)

2. उपरोक्त तदर्थ पदोन्नति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. तदर्थ पदोन्नति, निम्नलिखित न्यायालयी मामले में निर्णय के अधीन होगी :-

(क) सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी) सं. 13218/2009 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.07.2011 के परिणामस्वरूप दायर एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अन्य संबंधित मामले।

(ख) अखिल भारतीय समता मंच एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सि) सं. 3490/2010 में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 23.08.2017 के परिणामस्वरूप एसएलपी (सि) सं. 31288/2017

(ग) उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 12.11.2018 के विरुद्ध एस.एन. जसरा एवं राज कुमार के संबंध में एसएलपी सं. 5724-5725/2019

(घ) कोई अन्य संबंधित न्यायालयी मामला।

2. यह तदर्थ पदोन्नति, नियुक्त अधिकारियों को अनिश्चित अवधि तक अवर सचिव के ग्रेड में बने रहने अथवा उक्त ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

3. तदर्थ आधार पर पदोन्नति की यह अवधि आरंभ में 30.06.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

4. तदर्थ आधार पर प्रदान की गई यह पदोन्नति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

सुशील भूषण, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2021

No. AD-06/1/2018-Admin.: In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/10/2020-CS.I(U) dated 14.12.2020, the President is pleased to promote following Section Officers to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) purely on ad-hoc basis for a period up to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier w.e.f. the date shown against their names:

Sl. No.	Name	CSL No.	Date of Assumption of Charge
1.	AlimaTurkey	10887	14.12.2020(F/N)
2.	Hemant Khulbe	10947	14.12.2020(F/N)
3.	Rajiv kumar	10957	14.12.2020(F/N)

2. The above 'ad-hoc' promotion is subject to the following conditions: -

(1) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:

(a) The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;

- (b) The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI&Ors.
 - (c) The SLP Nos.5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra& Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
 - (d) Any other connected court matter
- (2) The ad hoc promotions shall not confer any right on the officers to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (3) The ad hoc promotions shall be initially for a period upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- (4) The ad hoc promotions may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

SUSHIL BHUSHAN, Asstt. Director General (Admn.)